

## कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर तृतीय खण्ड

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 02/2023 स्वापक नियंत्रण-1 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के अनुसार जारी सामान्य शर्तों (अफीम नीति) के पैरा 2 के अन्तर्गत फसल वर्ष 2023-24 हेतु अपात्र कृषकों की सूची:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	युनिक कोड	रेन्ज नं.	गाँव का नाम	कृषक का नाम सर्वश्री	मार्फिन औसत (किग्रा./हे.)
1	मन्दसौर	मल्हारगढ़	01050209019083	1	बोरखेड़ी चारण-।	लक्ष्मण / भगवान	2.907
2	मन्दसौर	सीतामऊ	01050210013047	2	लदूना	कारुलाल / कवरलाल	2.985
3	मन्दसौर	सीतामऊ	01050210003064	2	राजनगर	कमलाबाई / मोहनलाल	2.712
4	मन्दसौर	मल्हारगढ़	01050209029129	3	बिल्लौद-।।	फकीरचन्द / नन्दराम	2.959
5	मन्दसौर	सीतामऊ	01050210058016	3	नाहरगढ़	गीताबाई / रामगोपाल	2.903
6	मन्दसौर	सीतामऊ	01050210039005	4	शक्करखेड़ी (बाजखेड़ी)	भेरुलाल / भुवान	2.949
7	मन्दसौर	सुवासरा	01050211050039	5	टोंकडा	सुल्तान / भग्गा	2.945

**नोट:-** (i) यद्यपि उक्त पात्र कृषकों की सूची यथासंभव सावधानी बरतते हुए तैयार की गई है तथापि कोई किसान यह समझता है कि जारी अफीम नीति 2023-24 के प्रावधानों के अनुसार पात्र है परन्तु उसका नाम उक्त सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वह बन्दोबस्त अवधि तक अपना प्रत्यावेदन कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर तृतीय खण्ड में प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी जांच कर पात्रता प्रमाणित होने पर लाईसेंस जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रहे केवल संभावित पात्रता सूची में नाम आने से ही लाईसेंस जारी करने की अनिवार्यता नहीं होगी। कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर तृतीय खण्ड में उपलब्ध रिकार्डों के अनुरूप ही पात्रता प्रमाणित होने पर लाईसेंस जारी किया जाएगा।